



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 78]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी 2016—माघ 23, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर

कैम्प, भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2016

#### शुद्धि-पत्र

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 73 दिनांक 05.02.2016 में प्रकाशित विज्ञापित क्रमांक 7/ठेका/2016-17/51 में देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2016-17 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

(1) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 73 दिनांक 05.02.2016 के पेज क्रमांक 146 (6) में कंडिका 17.4 के खण्ड-(ख) की दूसरी पंक्ति में शब्द समूह "करने की सहमति।" के बाद एवं शब्द समूह "यदि प्रतिभूति की राशि" के पूर्व शब्द समूह "ऐसी स्थिति में वर्ष 2016-17 के लिये देय एवं वर्ष 2015-16 के लिये जमा प्रतिभूति राशि के अन्तर की देय राशि को दिनांक 03 मार्च, 2016 तक आवेदक/लायसेंसी द्वारा अनिवार्यतः जमा कराया जायेगा।" को जोड़ा जाकर पढ़ा जाये।

(2) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 73 दिनांक 05.02.2016 के पेज क्रमांक 146 (6) में कंडिका 17.4 के खण्ड-(घ) की तीसरी पंक्ति में अंकित वर्ष 2017 के स्थान पर वर्ष 2016 पढ़ा जाये।

(3) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 73 दिनांक 05.02.2016 के पेज क्रमांक 146 (13) में कंडिका 21.1 की उप कंडिका 10 को निम्नानुसार संशोधित कर पढ़ा जाये।

21.1 (10) में नवीनीकरण द्वारा निष्पादन प्रक्रिया में प्रतिभूति की राशि को विनिर्दिष्ट समयावधि में जमा करने के लिए आबद्ध रहूंगा। यदि वर्ष 2015-16 के लिये जमा प्रतिभूति राशि को वर्ष 2016-17 के लिए भी प्रतिभूति राशि मान्य किया जाता है, तो इस स्थिति में वर्ष 2016-17 के लिये देय एवं वर्ष 2015-16 के लिये जमा प्रतिभूति राशि के अन्तर की देय राशि को दिनांक 03 मार्च, 2016 तक जमा करने के लिये तथा अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के पोस्टडेटेड चैक्स विनिर्दिष्ट समयावधि में जमा करने के लिए आबद्ध रहूंगा।

राकेश श्रीवास्तव, आबकारी आयुक्त.